न्यायालय अंचल अधिकारी, देवरी

विविधवाद सं0:– 03/2020-21

प्रथम पक्षः– ग्राम गरडीह के ग्रामीण

बनाम

हुरो बढई, बहादूर बढई तथा अर्जुन बढई
पिता :– स्व0 मिश्री बढई
रामानन्द राय
पिता :–स्व0 धनराज राय

आदेश की कम संख्या एंव तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
	ग्राम गरडीह, थाना देवरी, जिला (गिरिडीह) ने दिनांक 14.08.2018 को एक आवेदन देकर साकिन गरडीह के खाता न0 33 खेसरा सं0 128 रकबा 5.04 ए0 भूमि पर हुरो बढई, बहादूर बढई तथा अर्जुन बढई पिता स्व0 मिश्री बढई तथा रामानन्द राय ,पिता स्व0 धनराज राय द्वारा जमीन पर अवैध दखल के प्रयास को रोकने का अनुरोध किया है। आवेदन में कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि पर स्कूल, मंदीर तथा रास्ता अवस्थित है जिसे तत्कालीन मजिस्ट्रेट (गिरिडीह) द्वारा Cr.P.C के धारा 145 के तहत पारित आदेश में सार्वजनिक घोषित किया गया है। इस संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त आवेदन पर सुनवाई हेतु तत्कालीन अंचल अधिकारी देवरी द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु द्वितीय पक्ष को 25.09. 2018 को नोटिश निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष विभिन्न तिथियों को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थिति हुए, जैसा कि द्वितीय पक्ष के आवेदन से परिलक्षित होता है। परंतु विधिवत्त वाद की कार्रवाई प्रारंभ नही की गई। अतः अपना पक्ष रखने हेतु पुनः द्वितीय पक्ष को नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 09-07-2020 को रखें। 26.6.2020 अंचल अधिकारी देवरी। 26/06/2020	
9.7.2020	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि मेरा है। लिखित रूप से आवेदन दिया गया है कि इससे संबंधित कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाए। आवेदन पर सम्यक विचारोपरांत तथा lockdown को देखते हुए कागजात प्रस्तुत करने हेतु 21 दिनों का समय दिया जाता है। अभिलेख 30.07.2020 को रखें। 9.7.2020 अं.अ.	6/10/20
30.7.2020	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के रामानन्द राय उपस्थित। अन्य अनुपस्थित। कागजात प्रस्तुत	

20.8.2020 द्वितीय पक्ष के छुट्टे बढ़ई, लपा बहादुर बढ़ई उपस्थित। अन्य अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा सादा हुकुमनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। मूल प्रति अवलोकनार्थ उपस्थापित नहीं किया गया।

आदेश पर रखें।

20.8.2020

e-issued
6/10/20

न्यायालय: अंचल अधिकारी, रेवरी

विविधवाद सं०- 03/2020-21

प्रथम पक्ष - ग्राम गरडीह के ग्रामीण

बनाम

द्वितीय पक्ष - दुरो बढ़ई, बहादुर बढ़ई तथा अर्जुन बढ़ई
पिता - स्व० मिश्री बढ़ई
एवं रामानन्द राय पिता - स्व० धनराज राय

ग्राम गरडीह के ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि - मौजा-गरडीह, थाना नं०-192, खाता सं०-33
खेसरा सं०-128 रकबा 5.04 एकड़ किस्म गैरमजरूआ खास की

प्रथम पक्ष का आरोप है कि द्वितीय पक्ष के लोग विवादित भूमि पर अवैध दखल कर रहे हैं। प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि पर स्कूल, मंदिर तथा रास्ता अवस्थित है, जिसे 1973 में तत्कालीन दण्डाधिकारी ने सार्वजनिक घोषित किया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा साक्ष्य के रूप में CrPC के धारा 145 के तहत 1973 में तत्कालीन दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय पक्ष के दुरो बढ़ई, बहादुर बढ़ई तथा अर्जुन बढ़ई ने विवादित भूमि के 3.80 एकड़ भूमि का सादा जमींदारी हुकुमनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया, जिसकी निर्गत तिथि तारीख 12 भादो सन 1335 साल फसली दर्ज है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा मात्र सादा हुकुमनामा के आधार पर विवादित भूमि पर दावा तथ्यपरक प्रतीत नहीं होता है।

e.r.-1554-20
6/10/20

द्वितीय पक्ष के रामानन्द राय द्वारा सरस्वती देवी द्वारा यशोदा देवी को बिक्री की गयी भूमि का केवाला की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। केवाला सं० 1104 दिनांक 29.01.1963 है। विवादित भूमि के अंश मात्र 0.40 एकड़ भूमि इस केवाला में दर्ज है।

1973 ई० में तत्कालीन दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

गये तथा बिहार सरकार के द्वारा काटे गये रसीद द्वितीय पक्ष दारू राणा, सरस्वती देवी वगैरह के नाम से है, परंतु स्थानीय निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि विवादास्पद जमीन का केवल एक खण्ड जिसका रकबा 40 डिसमिल है उसे छोड़कर बाकी सारी जमीन ग्रामीणों के काम मशरफ में जैसे गोबर, मवेशियों के बैठने के लिए स्थान, खलिहान के काम के लिए तथा गाँव के बड़े हिस्से के लोगों के निकासी के काम में बराबर से आता रहा है।"

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा अवैध दखल विधि-सम्मत नहीं है।

अंचल अमीन विवादित भूमि की नापी कर जाँच प्रतिवेदन यह स्पष्ट करते हुए दें कि वर्तमान में विवादित भूमि के कितने भाग पर अतिक्रमण किया गया है, ताकि अतिक्रमणमुक्त कराये जाने की कार्रवाई की जा सके।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०) 20.8.2020
अंचल अधिकारी
देवरी।

(ह०) 20.08.2020
अंचल अधिकारी
देवरी।

e.c. issued
6/10/20